तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। प्रार्थीगण कमलेश, ओमप्रकाश, कालु पिता मोहन मोग्या निवासी तलावड़ा की ओर से अधिवक्ता श्री पूनम चंद मेहता ने विपक्षीगण श्री शिवलाल, जसवंत, राजेन्द्र, सन्तोष, गीता के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का पेश किया जाने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात ग्राम तलावड़ा पटवार मण्डल बिलोट के खाता संख्या 23 में अंकित आराजी नम्बर 558 रकबा 0.5293 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 761/560 रकबा 0.372 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी कर मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया जाकर सुनवाई दिनांक 15/1/2025 को नियत की गई। बरोज सुनवाई दिनांक को श्री गजेन्द्र सिंह झाला द्वारा विपक्षीगण की ओर से उपस्थिति दी गई जवाब हेतु अवसर चाहा गया दिनांक 26-3-2025 को विपक्षीगण की ओर से विपक्षी क्रमांक 1 से लगायत 5 तक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल प्रार्थीगण वकील को दिलाई गई। वकील विपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. के कलम संख्या 2 में वर्णित तथ्य में मौजा तलावड़ा में खाता संख्या 23 की आराजी संख्या 558 व 761/560 होने के तथ्य सही है जो स्वीकार हैं उक्त आराजियात किसी भी प्रकार से वादग्रस्त नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 में वर्णित तथ्य में नारायण व दौला के भाई होने तथा आराजी पुश्तैनी होने की जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। उक्त आराजी प्रताप पुत्र बन्ना नारायण व धापु पत्नी नारायण के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी जिसकी जानकारी विपक्षीगण को होकर उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा गायत्री पत्नी शिवनारायण एवं गीता पत्नी हीरालाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है तथा वर्तमान समय में उनके खातेदारी में दर्ज होकर वे अपने-अपने हक हिस्से पर काबिज होकर आराजियात का उपयोग उपभोग कर रहे हैं दोनों भाईयों में कोई विभाजन नहीं हुआ न ही ऐसी विभाजन की जानकारी विपक्षीगण को है, ना ही किसी इकरारनामा की जानकारी विपक्षीगण को है, विपक्षीगण अपने खरीद शुदा 1/2 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादग्रस्त आराजी सं. 761/560	

उपखण्ड अधिकारी
डूँगला

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उप. डूंगला मुकाम डूंगला

कमलेश बनाम शिवलाल

मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 RTA नं. 67/2024 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
को सीमाड़े वाले टुकड़े के नाम से नहीं जाना जाता है तथा न ही ऐसे किसी हक त्याग के बारे में विपक्षीगण को पता है क्योंकि विपक्षीगण के द्वारा जो आराजी खरीद की है उतने ही हक हिस्से पर वे काबिज है। तथा आराजी का उपयोग उपभोग कर कर रहे है। तथा नारायण के पक्ष कौनसा हिस्सा त्याग किया उसकी जानकारी भी विपक्षीगण को नहीं है। क्योंकि वे उनके हिस्से पर काबिज है। जो उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया है। तथा प्रताप ने दौला का आधा हिस्सा विक्रय किया तथा आधा हिस्सा विपक्षीगण को विक्रय किया है तथा आधे हिस्से पर विपक्षीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा कलम संख्या-3 में वर्णित अन्य तथ्य भी गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई प्रतिकूल कब्जा नहीं है। ना ही वे खातेदारी के हकदार है। प्रार्थना पत्र के कलम संख्या 4 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार हैं विपक्षीगण अपने खरीद शुदा हक हिस्सा पर काबिज कास्त है तथा आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा आराजी नम्बर 558 एवं 761/560 के 1/4 हिस्सा पर गीता एवं 1/4 हिस्से पर गायत्री देवी व उनके वारिसान काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 में वर्णित कथन तथ्य पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं होकर सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षीगण के पक्ष में होकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का आदेश प्रदान [illegible] प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के पश्चात	

उपखण्ड अधिकारी
डूँगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिअल्स जज
	पत्रावली को बहस में नियत की गई। दिनांक 17-12-25 को वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत पाया गया कि मौजा तलावदा के खाता संख्या 23 में वर्णित आराजी नम्बर 558 रकबा 0.5293 है. एवं आराजी नम्बर 761/ऊ० रकबा 0.0972 है. भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गायत्री देवी पत्नी शिवलाल 1/4 जाति शर्मा एवं गीता पत्नी हीरालाल हिस्सा 2/4 जाति शर्मा के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर गायत्री देवी के वारिसान विपक्षी सं. 1 से 4 तक एवं गीता स्वयं अपने-अपने हक हिस्से पर काबिज होना विपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकित किया गया है तथा बहस में कथन किया गया है। तथा राजस्व नकल जमाबंदी के अनुसार विपक्षी संख्या 5 एवं विपक्षी सं. 1 से लगायत 4 जो कि गायत्री के वारिसान है प्रमाणित होता है। इसलिए किसी खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से उनके हक हिस्सा की आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित होकर न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में पूर्व में दिनांक 28-11-2024 को प्रसारित किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश को निरस्त कर खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार कर खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	24/12/25 उपखण्ड अधिकारी डूंगला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड ... डूंगला, जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner